

घोषणा-पत्र

(बोर्ड की पंजीकृत महिला श्रमिक के स्व-विवाह के लिए वित्तीय सहायता (अविवाहित महिला श्रमिक))

मैं (आवेदक) **Auto fill** पुत्री श्री / श्रीमति **Auto fill** निवासी
Auto fill निम्नलिखित घोषणा करती हूँ :-

1. मेरा विवाह दिनांक **Text Box** को हुआ है ।
2. मेरे विवाह प्रमाण- पत्र की पंजीकरण संख्या **Text Box** एवं दिनांक **Text Box** को **Text Box** (जारी करने वाला अधिकारी) द्वारा जारी किया गया है ।
3. मेरे द्वारा या मेरे माता पिता द्वारा भी किसी सरकारी विभाग / बोर्ड / निगम / संस्था से शादी के लिए वित्तीय सहायता (नियम 61) एवं कन्यादान सहायता लाभ के लिए कोई वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं की है और न ही इसके लिए मैंने कोई आवेदन किया है।
4. मैं आज भी भवन निर्माण कार्यों से जुडी हूँ तथा बोर्ड का/की सक्रिय सदस्य हूँ तथा वेबसाइट पर मेरे द्वारा अपलोड की गई सूचना / दस्तावेज सही व अपडेटेड है।

उपरोक्त सभी तथ्य मेरे समुचित ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार सही व सत्य है इनमे से न तो कोई तथ्य गलत है और न ही कोई तथ्य छुपाया गया है। यदि **विभागीय जाँच के दौरान** उपरोक्त तथ्य किसी भी समय गलत पाए जाते हैं तो हरियाणा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड मेरे खिलाफ **भारतीय दण्ड संहिता** के अनुसार दण्डात्मक कानूनी कार्यवाही करने का हकदार होगा तथा मेरे द्वारा प्राप्त की गयी **स्वयं की शादी के लिए वित्तीय सहायता** अनुदान की राशि को मैं लौटाने को बाध्य रहूंगी तथा मुझे अन्य कल्याणकारी सुविधाओं के लाभ से वंचित करने, **कालीसूची** में डालने तथा मेरा पंजीकरण निरस्त करने का भी बोर्ड को अधिकार रहेगा।

स्थान : Auto fill

तिथि : Auto fill